मॉनसून सावधानियां – दक्षिण पश्चिम मॉनसून

भारतीय रेल रेलपथ नियमावली के पैरा 1003-1012 में अनुबद्ध विस्तृत अनुदेशों और मॉनसून सावधानियों के संबन्ध में मॉनसून अनुदेशों (परिशोधित 2003) के अलावा मॉनसून आने से पहले निम्नलिखित अतिरिक्त एहतियाती उपाय भी अपना कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

1. सभी कटान के ऊपर के सभी जल ग्राही नाली पर उचित ध्यान देना चाहिए और मुहाना तक उचित ढलान अनुरक्षित करना चाहिए। सभी संभावित बहाव प्वाइंट से बहने वाले पानी को जल ग्राही नाली द्वारा रोक कर बहाव को उचित मुहाने की ओर बहाना चाहिए। क्रास नालियों को पेड़-पौधे और अन्य अवरोधों से मुक्त करके बारिश के पानी का निर्बाध बहाव और शीघ्र निकासी सुनिश्चित करना चाहिए।

मॉनसून से पूर्व ही कटान की पार्श्व नालियों को, सिल्ट, पेड-पौधे व अन्य अवरोधों को विधिवत हटाते हुए जल के सुगम बहाव हेतु क्लियर करना चाहिए। समंइंजी इसे व्यक्तिगत तौर पर सुनिश्चित करें और इस संबन्ध में प्रमाणीकरण मंडल को दें और यह सुनिश्चित करने का दायित्व वमंइंजी/ मंइंजी का है। पूरे मॉनसून के दौरान उन्हें सही स्थिति में अनुरक्षित करना भी आवश्यक है।

पुल चिमनी को भी सभी तरह के पेड-पौधों और अन्य अवरोधों से साफ रखना चाहिए। जब कभी कुछ स्पैन में सिल्टिंग देखा गया हो, तो उन्हें भी हटा कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी चिमनी का रास्ता, विशेषकर पुल के डाउन स्ट्रीम की तरफ बारिश के पानी के तत्काल निकास के लिए उपलब्ध होगा।

2. सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर दोनों ओर कम से कम एक रेल की पूरी तरह से उथली छनाई की गई हो और सेस को इस तरह से नीचे किया गया हो कि पानी आसानी से बह कर मुहाने तक जा सकें।

3. संरक्षणात्मक कार्य और नदी प्रशिक्षण कार्य को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित किया जाना चाहिए और यदि मरम्मत आवश्यक हो तो मॉनसून आने से पहले ही उसे पूरा करना चाहिए।

4. उच्च बाढ स्तर और खतरा स्तर चिह्न को साफ तौर पर पेंट किया जाना चाहिए।

5. पतरौल मैन और अन्य चौकीदार के सभी उपकरणों की पूरी जाँच की जानी चाहिए और समय पर बदला जाना चाहिए ताकि अल्प सूचनावधि पर पतरौल शुरू करने के लिए वे तैयार रहें और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पतरौल मैन सभी उपकरण अपने साथ बिना चूक के रखते हो। पतरौल मैन को नियमों की जानकारी के संबन्ध में सही तरह परामर्श दिया जाना चाहिए विशेष कर वक्रों में, जहाँ अवरोध/खतरा देखा गया हो, वहाँ रेलपथ को सुरक्षित करने के संबन्ध में।

6. मॉनसून से पहले रेलवे को प्रभावित करने वाले सभी टैंक/संकर्मों का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए। रेलवे से संबन्धित सभी संकर्मों की मरम्मत कराके संबन्धित राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रमाणित करवाना चाहिए। रेलवे को प्रभावित करने वाले टैंक/संकर्मों पर कडी निगरानी रखनी चाहिए।

7. इस कार्यालय के पत्र सं.556 दि.19.4.1988 के अधीन पहले ही भेजे गए संयुक्त इंजीनियरिंग परिचालन परिपत्र सं.1/87 में अनुबंधित विस्तृत अनुदेशों का कडाई से पालन किया जाना चाहिए।

8. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(आई एम डी)द्वारा सभी मौसम चेतावनी संदेश उनकी वेबसाइट (www.imd.gov.in) में अपलोड किए जाते हैं। ऐसे संदेश आई एम डी द्वारा केन्द्रीय नियंत्रण और सभी मंडल नियंत्रण को फैक्स और ई- मेल द्वारा संसूचित किया जाता है।

नियंत्रण द्वारा मौसम चेतावनी संदेश की प्राप्ति पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे आपको और आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत संप्रेषित किया जाता है। इस मामले में कोई भी विलंब को रिपोर्ट करके उसपर कार्रवाई लेनी होगी।

9. इसके अलावा भारी वर्षा और तूफान के दौरान गैंग और वसेइंजी/ सेइंजी/कइंजी/रेप द्वारा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबन्ध में आई आर रेल पथ नियमावली के पैरा 728 और 1001(3) में अनुबंधित अनुदेशों का बिना किसी विलंब के कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

10. गहरे और अस्थिर कटाव जहाँ शिलाखण्डों के लुढकने/स्लिप होने की संभावना रहती है, वहाँ शिलाखण्डों, लूज़ सामग्रियों और अस्थिर पेडों आदि के गिराने/हटाने के लिए एहतियाती उपाय बहुत पहले ही पूरे किए जाने चाहिए।

11. यार्ड लाइनों की जॉंच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि गिट्टी और मिट्टी पटरी के संपर्क में न आए और पार्श्व निकास प्रभावी रूप से काम कर रहा हो और रेलपथ परिपथ विफल न हो।

12. खडे पानी वाले यार्ड में से पानी को पूरी तरह निकालने के लिए उचित अनुलंब और आर पार निकास उपलब्ध कराना चाहिए।

13. पिछले मॉनसून में पम्पिंग स्लीपर से प्रभावित जोड और पृथक रेल पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए।

14. मॉनसून अनुदेश (परिशोधित 2003) के परिशिष्ट 'बी' के अनुसार शिला खण्ड, रेत और मूरम आदि आरक्षी सामग्रियों की पर्याप्तता की जांच करके जहां आवश्यक हो उनकी भरपाई की जानी चाहिए।

आपातकालीन उपयोग के लिए अच्छी स्थिति के अस्थाई गर्डर और क्रिब की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनका भंडारण ऐसी जगहों पर करनार चाहिए जहाँ से उन्हें आसानी से वैगनों/लॉरी में लादा जा सके। यदि कार्यस्थल की स्थिति और पिछले अनुभव के आधार पर नई जगहों में ऐसे चट्टे लगाने की आवश्यकता हो, तो उचित मंजूरी के साथ ऐसी सामग्री को पुन:चट्टे लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त 3 कि मी रेलपथ तथा निकाली गई सामग्रियों का चट्टा लगा कर उचित स्थान पर तैयार रखना चाहिए जहां से उन्हें आपात स्थितियों में आसानी से रोड या रेल द्वारा वहन किया जा सकें।

15. रात्रि पतरौल उपकरण, मुद्रित बीट पुस्तक आदि को "मॉनसून अनुदेशों" के अनुसार तैयार रखना चाहिए और चेतावनी बोर्ड को अल्प सूचना पर प्रदर्शित करने के लिए तैयार रखना चाहिए।

मॉनसून पतरौलिंग के लिए सभी रात्रि पतरौल बीट चार्ट समय से पहले तैयार करके रात्रि पतरौल शुरू करने से पूर्व मुख्य इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मुख्यालय भेजना चाहिए। रात्रि पतरौल चार्ट तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाजुक स्थलों और उस क्षेत्र में अप और डाउन यात्री गाडियों का संचलन रेलपथ नियमावली के पैरा 1004 में सूचितानुसार किया जाता हो और सेक्शन में समय परिवर्तन करते वक्त चार्टों को भी परिशोधित किया जाता हो।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चालू बीट चार्ट बिना चूक के पावती के अधीन संबन्धित स्टेशन प्रबंधकों को उपलब्ध कराया गया हो और इसका दायित्व संबन्धित समंइंजी का होगा।

16. पतरौल मैन का नामांकन, परीक्षण और उन्हें नियमों से अवगत कराने का काम तुरंत पूरा करना चाहिए। मॉनसून पतरौलिंग, मॉनसून अनुदेशों(परिशोधित 2003) के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार सेक्शन पर परिसीमित करने की आवश्यकता है।

17. पतरौलिंग प्रभावी तौर पर निष्पादित की जा रही है, यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त रात्रि निरीक्षण किया जाए, जो कि अधिकारियों/ वसेइंजी/ सेइंजी/कइंजी/रेप के लिए पहले ही निर्धारित संख्या से कम न हो।

18. सभी पहचाने गए नाजुक स्थलों व पुलों और अन्य उपयुक्त स्थलों पर स्थावर चौकीदारों को तैनात किया जाना चाहिए। इस संबन्ध में सिफारिश किए गए निवारक उपायों को जल्द पूरा करना चाहिए।

19. स्टील क्रिब, रेल नेस्ट, मनीला रस्सी, पोलिप्रॉपिलीन रोप्स, वुड कट्टर/पॉवर सॉ, सिम्प्लेक्स जेक्स, गैस कट्टिंग उपकरण, टिफ्फोर उपकरण, चेयिन पुल्ली ब्लॉक, चेयिन लिंक्स, प्लास्टिक शीट्स, रेल पाइल्स, रेल पायिलिंग हेम्मर आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पुनिरी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मॉनसून से पूर्व पेडों की टहनियों की काट छांट करें ताकि वे ऊपरी उपस्करों की परिधियों में आकर उनकी पार्टिंग या पॉवर आपूर्ति विफलता का कारण न बनें और विद्युतीकृत सेक्शनों में विद्युत गाडियों के सुगम संचालन को सुनिश्चित किया जा सकें। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी फील्ड कर्मचारी उपर्युक्त अनुदेशों का तत्परता से उचित तौर पर अनुपालन करते है। इस मामले में सभी वसेइंजी/ सेइंजी/कइंजी/रेलपथ और अन्य संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों को जारी विभिन्न अनुदेशों के महत्व पर जोर देते हुए सूचना भेजी जाएगी और इस संबन्ध में एक पावती प्राप्त करके इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा कि उन्हें उपर्युक्त अनुदेश प्राप्त हुए है और तथ्य समझ में आ गया है और ड्यूटी पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है।

मॉनसून शुरू होने से पूर्व ही उपर्युक्त अनुदेशों को परिपत्रित करके सख्त अनुपालन के लिए कृपया जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए और मदवार अनुपालन रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर अनिवार्यत: इस कार्यालय को भेजी जाए। अनुपालन रिपोर्ट भेजने में हुई चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

कृपया सुनिश्चित करें कि वसेइंजी/सेइंजी/कइंजी/रेप पतरौल चार्ट पावती के अधीन सभी स्टेशनों में सौंपने से संबन्धित उचित अभिलेख अपने पास अनुरक्षित रखते हो।

***